रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ii—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 1970/आश्विन 29, 1892

No. 181] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1970/ASVINA 29, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October 1970

G.S.R. 1820/Sugar Export.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby fixes, in addition to quantity already fixed for export, 25,000 tonnes (twentyfive thousand tonnes) of sugar as the quantity which may be exported during the period commencing on the date of publication of this notification and ending with the 31st day of December, 1970.

[No. F.12-1/70-ES.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1970

सा० का०नि० 1820.—चीनी निर्यात/—चीनी निर्यात अभिवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहले ही निर्यात के लिए नियत मात्रा के अतिरिक्त 25000 मीटरी टन (पच्चीस हजारी मीटरी टन) चीनी को उस मात्रा के रूप में नियत करती है जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को आरंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान निर्यात की जा सकती है ।

[सं० एफ० 12-1/70—इ एस]

र० स० तलवाड़, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970